

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज/वाद/19 पार्ट-5

जयपुर, दिनांक 12-11-2021

:: आदेश ::

निम्नांकित लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण की सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

क्र० सं०	नाम अभियोजक	पद नाम	सेवा वृद्धि
1	2	3	4
1	श्री अशोक कुमार शर्मा	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर	दिनांक 12.02.21 से 28.02.22 तक
2	श्री कमल किशोर मीणा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं05, जयपुर महानगर द्वितीय	दिनांक 24.10.20 से 31.10.21 तक
3	श्री सीताराम सैनी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं07, जयपुर महानगर द्वितीय	दिनांक 25.10.20 से 31.10.21 तक भविष्य में सफलता के प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ
4	श्री राघवेंद्र पारीक	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर जिला	दिनांक 25.10.2020 से 31.10.21 तक
5	श्रीमती बीना कुमारी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03, जयपुर जिला	दिनांक 14.12.20 से 31.12.21 तक भविष्य में सफलता के प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ
6	श्री चांद अली	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं05, जोधपुर महानगर	दिनांक 11.09.20 से 30.09.21 तक भविष्य में सफलता के प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ
7	श्री मनोज सिंह परिहार	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बाड़ी जिला धौलपुर	दिनांक 25.10.20 से 31.10.21 तक भविष्य में सफलता के प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ
8	श्री कुलदीप परिहार	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सं02, उदयपुर	दिनांक 02.09.20 से 30.09.21 तक भविष्य में सफलता के प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ

आज्ञा से

(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण